I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 27/08/2019 14:57 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/08/2019 **Time (समय):** 13:32 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 27/08/2019 13:32 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 45 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Distt Panipat

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Raj singh

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 29/12/1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	mohan nagar, JHANSA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	mohan nagar, JHANSA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विनित कुमार			1. कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग,पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
2	विश्वपाल			1. कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग,पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
3	शमीम अहमद			1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
4	कृष्ण कुमार		Father's Name: बलबीर सिह	1. गांव भापरा,जिला पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
5	अशोक कुमार		Father's Name: राज कमल	1. गांव सिठाना,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
6	राकेश सैनी		Father's Name: देवेन्द्र कुमार	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
7	ऋषी		Father's Name: रतन लाल	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
8	भजन		Father's Name: बलबीर सिंह	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
9	जयकिशन		Father's Name: रामकुमार	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
10	मूर्ती देवी		Husband's Name: ओमप्रकाश	1. गांव भापरा,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
11	राज बाला		Husband's Name: रमेश कुमार	1. गांव काबडी,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
12	रीना		Husband's Name: राकेश कुमार	1. गांव बिहोली,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
13	सरोज बाला		Husband's Name: बिजेन्द्र सिंह	1. गांव सेहरा,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
14	मीनू		Husband's Name: राजबीर	1. चांदनी बाग पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
15	मुकेश रानी		Husband's Name: मुकेश कुमार	1. सेठी चौक,पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
16	गंगा सैनी		Husband's Name: ओम प्रकाश	1. गांव कचरोली,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
17	ओम कौर		Husband's Name: प्रेम सिंह	1. गांव बुआना लाखु,जिला पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
18	नरेश कुमार		Father's Name: बलबीर सिंह	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
19	अनवर जमाल		Father's Name: खलीलुदीन	1. पानीपत,PANIPAT,HARYANA,INDIA
20	मुर्तजा		Husband's Name: असगर	1. अधमी,पानीपतPANIPAT,HARYANA,INDIA
21	सुरजीता		Husband's Name: नरेन्द्र	1. इसराना,PANIPAT,HARYANA,INDIA
22	शांति देवी		Husband's Name: सतनारायण	1. सिवाह,PANIPAT,HARYANA,INDIA
23	प्रेम		Husband's Name: दिलबाग सिंह	1. उग्राखेडी,PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल निवेदन है कि यह जांच क्रमांक 09 दिनांक 13.11.2018 पानीपत, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/54/2018-3 चौ0(।।) दिनांक 29.10.2018 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16118/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 15.11.2018 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल द्वारा पडताल हेतू मुझे सौंपी गई थी। जांच में आरोप था कि जिला पानीपत में हाईटैक एग्रो इन्डस्ट्रीज पावर वीडर बनाने वाली एक कम्पनी है। जिसकी क्षमता 5 HP व 7 HP की है। जो हिसार ट्रैक्टर आफ इस्टीटयूट से रजिस्टर्ड है और यह चाईनिज सरोवर इंजन से पास है। उक्त कम्पनी द्वारा सरकार के कई विभागों में बडे तौर पर धोखाधडी की गई है। कृषि विभाग में उक्त कम्पनी किसानों को सब्सिडी देने के लिए 5 HP व 7 HP पावर वीडर के लिए रजिस्टर्ड है। जिसका प्रमाण पत्र कृषि विभाग के पास जमा किया गया है। कम्पनी के पास 9.5 HP की कोई पावर टीलर मशीन नहीं है। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा जो सब्सिडी 9.5 HP पावर टीलर के लिए दी जानी थी। वह इस कम्पनी से मिली भगत करके 7.0 HP पर दे दी गई है तथा कम्पनी के हिसार टैस्टिंग सैन्टर के मूल सर्टिफिकेट में छेडछाड करके पावर वीडर को पावर टीलर बनाया है। जिसमें भी धोखाधडी की गई है। कम्पनी 5 HP व 7 HP के पावर वीडर ही बनाकर बेच सकती है, परन्तु कम्पनी ने धोखाधडी करके 5 HP व 7 HP की जगह 9.5 HP की नकली प्लेट लगाकर वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग पानीपत के अधिकारियों की मिली भगत से 27 किसानों को पचास हजार रूप्ये प्रति व्यक्ति सब्सिडी देकर 13,50,000/-रूपये का घपला किया। जिनमें से 15 किसान भी फर्जी है। जिनकी कुल 7,50,000/-रूपये सब्सिडी विभाग खुद खा गया। सेल टैक्स विभाग की चोरी उक्त किसानों द्वारा खरीद की गई 27 मशीनों को अप्रैल 2017 में बनाया गया था। जिनका तिमाही टैक्स व वैट नहीं भरा गया। इस प्रकार उक्त कम्पनी बिना किसी G.O 1500 पावर वीडर बिना किसी टैक्स के बेच चुकी है। इस प्रकार सरकार को करोडों रूपये टैक्स का चूना लगा है। ईन्कम टैक्स की चोरी:- इस प्रकार कम्पनी ने 4/5 सालों में करीब 1500 मशीन 1,25,000/-रूप्ये के हिसाब से बेचा है, परन्तु आई0टी0आर0 में नहीं दिखाया। जिसकी कुल आई0टी0आर0 5/6 लाख ही भरी गई। जांच की पडताल के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 में निदेशक, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 96-137/ए0ई0 दिनांक 7.9.17 अनुसार किसानो को पावर टिल्लर/पावर विडर 9 हार्स पावर के खरीदने पर सब्सिडी देने बारे स्मैम स्कीम जारी की जानी पाई गई। जिसमे अनुसूचित/अनुसचित जनजाति/छोटे किसान/सीमान्त किसान/महिला किसान को पावर टिलर खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा अन्य लाभ पात्रो को 40 प्रतिषत सब्सिडी दी जानी थी। जो इन पावर टिल्लर/पावर विडर की कीमत नियमानुसार 1,20,000/-रुपये से 1,50,000/-रुपये निर्धारित की जानी पाई गई। जो यह कृषि यन्त्र टैक्स फ्री होने पाये गये। जो कुल 20 किसानो द्वारा पावर टिल्लर/पावर विडर खरीद किये जाने पाये गये। जिनमें से 17 पावर टिल्लर/पावर विडर मैसर्ज हाई टैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत व 03 पावर टिलर/पावर विडर मैसर्ज हरियाणा एग्रो सिस्टम नई अनाज मण्डी पानीपत से किसानो द्वारा खरीद किये जाने पाये गये। जिन 17 किसानो द्वारा मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत से पावर टिल्लर/पावर विडर से खरीद किये जाने पाये गयें। जो इन 17 किसानो द्वारा विभाग में सब्सिडी हेतू जमा कराये गये पावर टिल्लर/पावर विडर के भरे गए फार्म में 8 हार्स पावर की क्षमता होनी दर्शाई गई है तथा फर्म मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड, पानीपत की प्रोपराईटर सिराज फातिमा जिसके द्वारा अपने पति शमीम अहमद को बजरिया पावर ऑफ अटार्नी मालिक बनाया हुआ है जो प्रतिवादी शमीम अहमद द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेजो अनुसार फर्म का पावर टिल्लर/पावर विडर बनाने के लिए लाईसेंस न0. IMP-663/1622 माह जून 2014 होना पाया गया। लाईसेन्स में 5.2/7.0 हार्स पावर के पावर विडर/पावर टिलर बनाने की क्षमता तय की जानी पाई गई। इसके अतिरिक्त आरोप में जो हिसार टैस्टिंग सेन्टर के उक्त मूल पत्र में छेडखानी करने का आरोप है जांच के दौरान उस पत्र के साथ कोई छेडखानी होनी नही पाई गई तथा फर्म मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत से प्राप्त 17 किसानो के पावर विडर/पावर टिलर के बिलो की प्रतियो में किसानो को बेचे गये पावर विडर/पावर टिलर 7 हार्स पावर के होने दर्शाये गए तथा स्वयं फर्म के मालिक प्रतिवादी शमीम अहमद द्वारा भी अपने कथन में फर्म द्वारा 7 हार्स पावर के पावर विडर/पावर टिलर किसानो को बेचने बतलाये तथा 9 हार्स पावर के पावर विडर/पावर टिलर फर्म द्वारा बनाने से इन्कार किया परन्तु सहायक अभियन्ता कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग पानीपत से प्राप्त रिकार्ड अनुसार जो बिल फर्म मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत द्वारा जारी करने दिखाऐ है उनमे पावर विडर/पावर टिलर की क्षमता 9.5 हार्स पावर दर्शाई गई है तथा 7 हार्स पावर व 9.5 हार्स पावर के पावर विडर/पावर टिलर के बिल एक ही फर्म मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत द्वारा जारी किये जाने पाए गऐ तथा इन पावर विडरो को 7 हार्स पावर के स्थान पर 9.5 हार्स पावर की नकली प्लेट लगाई जानी पाई गई परन्तु बिल न0 व इन्जन न0 दोनो बिलो पर एक होने पाये गये। जिनमें से कुछ पावर विडरो का जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। जो इन पावर विडरो पर निरीक्षण के दौरान 9.5 हार्स पावर की प्लेट लगी होनी पाई गई। मुकेश लेखाकार मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत ने अपने कथन में बतलाया कि 07 हार्स पावर के बाद में 9.5 हार्स पावर के बिल मालिक श्री शमीम अहमद के कहने पर उसके द्वारा कांटे गये थे। जो दोनो बिलो के बिल नम्बर व इन्जन नम्बर तथा कीमत एक ही है तथा सहायक अभियन्ता कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग पानीपत से प्राप्त रिकार्ड में यह भी पाया गया कि विनित कुमार सहायक कृषि अभियन्ता, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग पानीपत व विश्वपाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता पानीपत द्वारा जो दस्तावेज अपने कार्यालय की फाईल में लगाए गऐ उनमें पावर विडर/पावर टिलर खरीद से सम्बन्धित किसानो के बिल 9.5 हार्स पावर के साथ दो-2 शपथ पत्र लगाये गये जिनमें प्रत्येक किसान का एक खाली शपथ पत्र पर तथा एक भरे शपथ पर जिसमें पावर विडर/पावर टिलर 7 हार्स पावर का अंकित होना पाया गया तथा शपथ पत्र पर किसानो के हस्ताक्षर कराये जाने पाये गये परन्तु किसानो द्वारा सब्सिडी हेतू भरे गये फार्म

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

पावर विडर/पावर टिलर 8 हार्स पावर का दर्शाया गया। पडताल पर 9.5 हार्स पावर के मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत के पावर विडर/पावर टिलर के बिल फर्जी तैयार किये जाने पाये गये। जांच के दौरान किसानो से पूछताछ की गई जिन्होने भी अपने-2 कथनो में उनके द्वारा खरीद किये गये पावर विडर/पावर टिलर के बिल वापिस सब्सिडी का पता चलने पर पूनः मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रीज जाटल रोड पानीपत में जमा कराने ब्यान हुए। इसी प्रकार मैसर्ज हरियाणा एग्रो सिस्टम नई अनाज मण्डी पानीपत से जिन 3 किसानो द्वारा पावर विडर/पावर टिलर खरीद किए गऐ बी0सी0एस0 इण्डिया प्राईवेट लिमटेड लुधियाना द्वारा अपना अथोराईज डीलर बनाया हुआ है तथा 13 सी0एस0 द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर 8 व 11 हार्सपावर के पावर टिलर/पावर विडर तैयार किये जाते है जिसके आधार पर ही मैसर्ज हरियाणा एग्रो सिस्टम पानीपत द्वारा बी0सी0एस0 इण्डिया प्राईवेट लिमटेड के 3 पावर विडर/पावर टिलर किसानो को बेचे जाने पाऐ गऐ जिनमे दो पावर विडर/पावर टिलर 8 हार्स पावर व एक पावर विडर/पावर टिलर 11 हार्स पावर का बेचा जाना पाया। जिसकी पुष्टि मैसर्ज हरियाणा एग्रो सिस्टम नई अनाज मण्डी पानीपत के मालिक सुनिल कादियान द्वारा अपने कथन में भी की है तथा सुनील कादियान द्वारा माडल के आधार पर प्रस्तुत रिकार्ड बिल न0. 739 पावर टिलर/पावर विडर 11 हार्स पावर बिल न0. 765 अनुसार 8 हार्स पावर व बिल न0. 767 अनुसार 8 हार्स पावर के होने बतलाये है। जो सुनील कादियान द्वारा प्रस्तुत बिलो की प्रतियो में 9.5 हार्स पावर अंकित नही होना पाया गया। जो सुनील कादियान द्वारा प्रस्तुत बिल की प्रतिया सही होनी पाई गई परन्तु सहायक अभियन्ता कृषि एंवम कल्याण विभाग पानीपत से प्राप्त रिकार्ड में बिल न0. 739, 11 हार्स पावर व किसान द्वारा भरे गये फार्म में 8 हार्स पावर दर्षाया गया है, परन्तु निदेशक, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 96-137/ए0ई0 दिनांक 7.9.17 अनुसार किसानो को पावर टिल्लर/पावर विडर 9 हार्स पावर के खरीदने पर सब्सिडी देने बारे स्मैम स्कीम के तहत आदेश जारी किये गये। बिल न0. 765, 9.5 हार्स पावर व किसान द्वारा भरे गये फार्म में भी 8 हार्स पावर तथा बिल न0 767, 9.5 हार्स पावर व किसान द्वारा भरे गये फार्म में 8 हार्स पावर अंकित होना पाया गया तथा पावर विडर/पावर टिलर के किसानो के प्रत्येक बिल के साथ दो-2 खाली शपथ पत्र हस्ताक्षर शुदा लगे होने पाये गये। जिससे प्रतित होता है कि विनित कुमार सहायक कृषि अभियन्ता, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग पानीपत व विश्वपाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता, कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग, पानीपत द्वारा मैसर्ज हाईटैक एग्रो इण्डस्ट्रिज जाटल रोड, पानीपत के मालिक शमीम अहमद व 20 किसानो कृष्ण कुमार पुत्र बलबीर सिह गांव भापरा जिला पानीपत, अशोक कुमार पुत्र राज कमल गांव सिठाना जिला पानीपत, राकेश सैनी पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी पानीपत, रिषी पुत्र रतन लाल निवासी पानीपत, भजन पुत्र बलबीर सिंह निवासी पानीपत, जयकिशन पुत्र रामकुमार निवासी पानीपत, मूर्ती देवी पत्नी ओमप्रकाश गांव भापरा जिला पानीपत, राज बाला पत्नी रमेश कुमार गांव काबडी जिला पानीपत, रीना पत्नी राकेश कुमार गांव बिहोली जिला पानीपत, सरोज बाला पत्नी बिजेन्द्र सिंह गांव सेहरा जिला पानीपत, मीनू पत्नी राजबीर निवासी चांदनी बाग पानीपत, मुकेश रानी पत्नी मुकेश कुमार वासी सेठी चौक, पानीपत, गंगा सैनी पत्नी ओम प्रकाश निवासी गांव कचरोली जिला पानीपत, ओम कौर पत्नी प्रेम सिंह निवासी गांव बुआना लाखु जिला पानीपत, नरेश कुमार पुत्र बलबीर सिंह निवासी पानीपत, अनवर जमाल पुत्र खलीलुदीन निवासी पानीपत, मुर्तजा पत्नी असगर गांव अधमी जिला पानीपत, सुरजीता पत्नी नरेन्द्र निवासी गांव इसराना जिला पानीपत, शांति देवी पत्नी सतनारायण निवासी गांव सिवाह जिला पानीपत व प्रेम पत्नी दिलबाग सिंह गांव उग्राखेडी जिला पानीपत के द्वारा आपस में मिली भगत करके 7 व 8 के पावर विडर/पावर टिलर के बिलो को 9.5 हार्स पावर के फर्जी बिल व फर्जी दस्तावेज तैयार करके सरकारी राशि 11,51,500/-रुपये का सब्सिडी के नाम पर गबन करके सरकार को वित्तीय हानि पहुचाए जाने पर उपरोक्त के विरुद् जेर धारा 406,420,467,468,471, 120-बी भा0द0स0 व 13-1(डी) पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने तथा सब्सिडी के तौर पर दी गई राशि 11,51,500/-रुपये का भी उपरोक्त से कृषि एंवम किसान कल्याण विभाग, पानीपत द्वारा अपने स्तर पर वसूल करने तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य की भी सलिप्ता पाई जाये तो उसे भी अभियोग की तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के क्रमांक 66/54/18-3 चौकसी-(II) दिनांक 29.7.2019 की अनुपालना में महानिदेशक रा0चौ0ब्यू. 12873/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 (ह) दिनांक 07.08.2019 अनुसार जांच रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के आधार पर उपरोक्त दोषियो के विरुद् जेर धारा 406,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13-1(डी) पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने हेतू पुलिस फाईल पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यू0 करनाल के माध्यम से प्राप्त हुई है। जो उपरोक्त आरोपीयान द्वारा किये गये गबन से उपरोक्त आरोपीयान के विरुद् जुर्म जेर धारा 406,420,467,468,471, 120-बी भा0द0स0 व 13-1(डी) पी0सी0 एक्ट के तहत होना पाया गया है जिस पर उपरोक्त आरोपीयान के विरुद्व जेर धारा 406,420,467,468,471, 120-बी भा0द0स0 व 13-1(डी) पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट से अफसरानबाला को भी सूचित किया जावे। Sd/ Raj Singh (राज सिंह) ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौक्सी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 27-8-2019 At 01-30Pm अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर मु0 नं0 15 दिनाँक 27/08/2019 U/S 406,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13-1(डी) पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार हवाले निरीक्षक पूर्ण सिहँ न0 110/HAP के की जायेगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार न0 5/57 की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Puran Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 110HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Shyam Lal

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	31/03/1962				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	30/03/1962				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	24/09/1967				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	27/01/1970				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	16/06/1964				**Is Proxitted:** Yes
6	Male	15/07/1965				**Is Proxitted:** Yes
7	Male	27/11/1969				**Is Proxitted:** Yes
8	Male	17/06/1964				**Is Proxitted:** Yes
9	Male	27/01/1970				**Is Proxitted:** Yes
10	Female	15/07/1965				**Is Proxitted:** Yes

11	Female	03/02/1970				**Is Proxitted:** Yes
12	Female	08/05/1983				**Is Proxitted:** Yes
13	Female	30/12/1968				**Is Proxitted:** Yes
14	Female	17/07/1975				**Is Proxitted:** Yes
15	Female	11/06/1974				**Is Proxitted:** Yes
16	Female	16/06/1964				**Is Proxitted:** Yes
17	Female	17/06/1964				**Is Proxitted:** Yes
18	Male	31/12/1978				**Is Proxitted:** Yes
19	Male	02/06/1970				**Is Proxitted:** Yes
20	Female	04/02/1969				**Is Proxitted:** Yes
21	Female	10/03/1971				**Is Proxitted:** Yes
22	Female	11/06/1968				**Is Proxitted:** Yes
23	Female	13/07/1966				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s)(आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)